27/1/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सूची दस्तावेज पेश किये। (illegible) बहस उपस्थित से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/2/2020 को पेश हो।

4/2/2020 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र/10/2018

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व. नाथूराम आयु 36 वर्ष
2. नन्दकिशोर पुत्र स्व. नाथूराम आयु 34 वर्ष

समस्त जाति बलाई निवासीगण खाखोली तहसील धोद जिला सीकर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–

श्री भागीरथ ढाका, वकील प्रार्थीगण की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 04.02.2020

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खाखोली तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा सं. 515/39 रकबा 1.99 हेक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/5 हक व हिस्सा है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसका नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पिता के देहान्त होने के बाद दर्ज किया गया था। उस समय प्रार्थीगण की उम्र क्रमशः 1 वर्ष व 3 वर्ष होने से प्रार्थीगण के बचपन में पुकारे जाने वाले नाम क्रमशः मंगलचंद व दीनदयाल सहवन से नामान्तरकरण करने में दर्ज हो गये। जबकि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम क्रमशः मुकेश कुमार व नन्दकिशोर है। प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात यथा चुनाव पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात में क्रमशः मुकेश कुमार व नन्दकिशोर ही अंकित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 515/39 रकबा 1.99 हेक्टेयर वाके ग्राम खाखोली पटवार हल्का खाखोली तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम मंगलचंद के स्थान पर मुकेश कुमार व दीनदयाल के स्थान पर नन्दकिशोर दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, धोद से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2490 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण ने साक्ष्य में प्रार्थी सं. 1 स्वयं व नन्दलाल के शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात आदि की प्रतिलिपि भी पेश की, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Riy

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned with CamScanner

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण सं. 4 निर्णय दिनांक 22.05.1989 ग्राम खाखोली सहखातेदार नाथूराम पिता हरदेवा कौम बलाई के फौत होने पर वारिसों गोपाल, सोहनलाल, मंगलचंद, दीनदयाल(सभी पुत्र) व भंवरी(बेवा) के नाम पर दर्ज कर स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ही विवादित भूमि खसरा सं. 39 रकबा 2.01 हेक्टेयर में प्रार्थीगणों के नाम मंगलचंद व दीनदयाल दर्ज किये गये हैं। प्रार्थी मुकेश द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में फोटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट की प्रतियां पेश की है, जिसमें प्रार्थी का नाम मुकेश कुमार पुत्र नाथूराम दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी नन्दकिशोर ने फोटो पहचान–पत्र व आधार कार्ड की प्रतियां पेश की है, जिसमें प्रार्थी का नाम नन्दकिशोर पुत्र नाथूराम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में सरपंच, ग्राम पंचायत खाखोली के दो प्रमाण–पत्र पेश किये है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि "मंगलचंद व मुकेश कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है तथा इसके पिता का नाम नाथूराम है। इसी प्रकार दीनदयाल व नन्दकिशोर एक ही व्यक्ति के नाम है तथा नन्दकिशोर के पिता का नाम नाथूराम है। उक्त दोनों व्यक्तियों के सही नाम क्रमशः मुकेश कुमार व नन्दकिशोर है।" प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वतंत्र गवाह नन्दलाल पुत्र बलदेव प्रसाद उम्र 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खाखोली तहसील धोद का शपथ–पत्र पेश किया है, जिसमें अंकित किया है कि "प्रार्थीगण को बचपन में मंगलचंद व दीनदयाल के नाम से पुकारा जाता था। इसलिए तत्समय सहवन से नामान्तरकरण में उक्त नाम अंकित कर दिये गये जबकि प्रार्थीगणों के सही नाम मुकेश कुमार व नन्दकिशोर है तथा दोनों नाथूराम के पुत्र है।" तहसीलदार धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम खाखोली की विवादित आराजी 515/39 रकबा 1.99 हेक्टेयर में सहखातेदार के रूप में दर्ज मंगलचंद व दीनदयाल के नाम गलत दर्ज है। उक्त दोनों सहखातेदारों के सही व वास्तविक नाम मुकेश कुमार व नन्दकिशोर है।"
अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, ग्राम पंचायत खाखोली के प्रमाण–पत्र, स्वतंत्र गवाह नन्दलाल के शपथ–पत्र व तहसीलदार धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खाखोली तहसील धोद में अवस्थित आराजी खसरा सं. 515/39 रकबा 1.99 हेक्टेयर में सहखातेदार के रूप में दर्ज प्रार्थीगण के नाम मंगलचंद व दीनदयाल के स्थान पर मुकेश कुमार व नन्दकिशोर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी मु. सीकर
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.02.14 14:22:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: